



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1939 (श10)
(सं0 पटना 982) पटना, बुधवार, 18 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
18 अक्टूबर 2017

एस० ओ० 249 दिनांक 18 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध माल की पूर्तियों को समझे गए निर्यातों के रूप में अधिसूचित करते हैं, यथा—

सारणी

क्रम सं.	पूर्ति का वर्णन
(1)	(2)
1	अग्रिम प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
2	निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजी माल की पूर्ति
3	निर्यातोन्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
4	अग्रिम प्राधिकार के प्रति अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण की पूर्ति

स्पष्टीकरण :-

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, --

1. “अग्रिम प्राधिकार” से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है
2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है
3. “निर्यातोन्मुख यूनिट” से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3809)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

18 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 250, एस०ओ० 249 दिनांक 18 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3809)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 18th October 2017

S.O. 249, dated 18th October 2017— In exercise of the powers conferred by section 147 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely—

Table

S.No.	Description of supply
(1)	(2)
1.	Supply of goods by a registered person against Advance Authorisation
2.	Supply of capital goods by a registered person against Export Promotion Capital Goods Authorisation
3.	Supply of goods by a registered person to Export Oriented Unit
4.	Supply of gold by a bank or Public Sector Undertaking specified in the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017 (as amended) against Advance Authorisation.

Explanation -

For the purposes of this notification, -

1. “Advance Authorisation” means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports.
2. Export Promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import of capital goods for physical exports.
3. “Export Oriented Unit” means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21/2017-3809)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 982-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>